संख्या-33/2023/001-246(1)-24-1-2023-246 BUDGET-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र 0पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पत्र संख्या-1548/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 06 जनवरी, 2033 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-8908-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 737,80,00,000/- (रूपये सात सौ सैंतीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 92,00,00,000/- (रूपये बांनवे करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में व्यवस्थित धनराशि में से वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जाएगी, जब केंद्र सरकार से मैचिंग ग्रांट प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के व्यय के सापेक्ष आगामी किश्त से पूर्व वित्तीय एव भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 की शर्तो/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 92,00,00,000/- (रूपये बांनवे करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801051908908 स्मार्ट मीटरिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूँजी (राज्यांश) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-172-X-2022-23- दिनांक 20 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या-33/2023/001-246(2)-24-1-2023-246 BUDGET-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001
2 - महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3 - महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।